राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर
दूरभाष – 0141–2201061

क्रमांकः–एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक 5-7-2019

परिपत्र 160

प्रायः मुख्यालय एवं संभागीय स्तर, के जिला कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारीगणों के द्वारा उपार्जित अवकाश/चाईल्ड केयर लीव/मातृत्व अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाशों के उपभोग किए जाने पर उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उक्त कर्मचारियों के एवज में स्टाफ की माँग की जाती है। जबकि मुख्यालय में लीव रिजर्व स्टाफ रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 868 दिनांक 15.11.2010 के द्वारा संभागीय अतिरिक्त निदेशकों को अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों में कार्य आवश्यकतानुसार 30 दिवस तक कर्मचारियों के पदस्थापन किए जाने की शक्तियां प्रदान की हुई है। इसके बाद भी मुख्यालय से आपके द्वारा निरन्तर पत्राचार कर स्टॉफ की मांग की जाती हैं। यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली के अनुकूल नहीं है।

अतः समस्त मुख्यालय/संभाग/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को पुनः निर्देश है कि अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के उपार्जित अवकाश/चाईल्ड केयर लीव/मातृत्व अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाशों अथवा रिक्त पद होने की स्थिति में अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग नहीं करते हुए आपके अधीनस्थ उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग कर,**(प्रशासनिक दृष्टि से कार्य निष्पादन अति आवश्यक की स्थिति में अन्य कार्मिकों का पदस्थापन कर)** विभागीय कार्य परिणाम दिया जाना सुनिश्चित करें।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ 3976-4030 दिनांक 5-7-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान।
3. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट http:/sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

5/7/19

(के. एम. दूडियां)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग
राजस्थान जयपुर